120/2016 रामाराम वा श्रीरूपाराम वगै०

11.2.17 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है, अतः साक्ष्य बंद की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादीगण का वादपत्र लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय [illegible] से लिखवाया जाकर, सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11.2.17
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री नाथूसिह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.120/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1.रामाराम पुत्र जालाराम		1.भीखाराम पुत्र सिदाराम
2.अर्जमराम पुत्र जालाराम		2.अर्जुनराम पुत्र लिखमाराम
3 नेनू पत्नि जालाराम		जाति जाट निवासी सांजटा
4.श्रीमति कबु पत्नि जुजाराम		तहसील सिणधरी
5.नेनू पत्नि हीरा जाति जाट		जिला बाड़मेर
निवासी लाखाणी गोदारो की		3.तहसीलदार सिणधरी
ढाणी,निम्बलकोट		
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दीपूसिह चौधरी,श्री हरीश चौधरी,अधिवक्ता,वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी स.1 से 3 एकरतफा

निर्णय

दिनांक– 11.2.2017

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. सिणधरी

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल रकबा 60–13 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर वादी की रहवासी ढाणी,टांके,बाड़े,चारे की कलाले आदि बने हुए है,और वादी का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है,वादी की खातेदारी भूमि के सेढा सेढ प्रतिवादी की भूमि आई हुई है,जो आये दिन वादी की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी करते आ रहे है,और वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है,अतः वादी ने प्रतिवादी के विरूद वादी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करने एवं वादीगण के कब्जे काश्त के सेढे पर बनी वक्त सेन्टलमेन्ट की माठ को तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करने बाबत स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वादपत्र पेश किया गया है।

2 वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर,प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सम्मन तामिल होने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई है,और दस्तावेजी साक्ष्य मे ग्राम ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल रकबा 60–13 बीधा जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 तक एवं नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई है।

4.वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

रकबा 60–13 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर वादीगण की रहवासी ढाणी,टांके,बाड़े,चारे की कलाले आदि बने हुए है,और वादीगण का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि के सेढा सेढ प्रतिवादी की भूमि आई हुई है,जो आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी करते आ रहे है,वादीगण की उक्त आराजी पर प्रतिवादी कब्जा कर काश्त करने के लिए हमेशा आमद रहने से वादी को यह डर हमेशा बना रहता है,कि उसकी कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर वादी के बेदखल कर देगे। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर वादीगण से भूमि हड़पना चाहते है,यदि ऐसा करने मे सफल हो गये,तो वादी के वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। आगे ओर कथन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त व पुरानी माठो को तोड़ कर प्रतिवादी ने अनाधिकृत रूप से वादीगण के हक हिस्से मे प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है। अतः वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे। कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे। एवं वादीगण के कब्जे काश्त के सेढे पर बनी वक्त सेन्टलमेन्ट की माठ को तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे।

5.हमने् वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमे पाया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल रकबा 60–13 बीधा भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे एवं कब्जा काश्त मे

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया गया है। चुंकि वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,रिकार्डड खातेदारी की भूमि मे कोई सेढा पडौसी या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,और यदि खातेदारी को ऐसा लगता है,तो खातेदार उक्त अधिनियम के तहत राहत पाने का हकदार है,ऐसी सुरत मे वादीगण की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,एवं प्रतिवादी बावजुद सम्मन तामिल के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादी की मौन स्वीकृति है।

6. लिहाजा वादीगण का वादपत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल रकबा 60—13 बीधा भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 व 2 के विरूद जारी की जाती है,तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

11/2/12

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11/2/12 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/2/12

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix "d"1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी
ब इजलास श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.रामाराम पुत्र जालाराम 2.अर्जनराम पुत्र जालाराम 3 नेनू पत्नि जालाराम 4.श्रीमति कबु पत्नि जुजाराम 5.नेनू पत्नि हीरा जाति जाट निवासी लाखाणी गोदारो की ढाणी,निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.भीखाराम पुत्र सिदाराम 2.अर्जुनराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी सांजटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 3.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स.–120/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री दीपूसिह चौधरी व श्री हरीश चौधरी,वकील मिनजानिब व प्रतिवादीगण एकरतफा मिनजानिब मुद्दाय़लाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं,व डिकरी दी जाती हैं,कि वादीगण का वादपत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम लाखाणी गोदारो की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 45 व 46 कुल रकबा 60–13 बीधा भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 व 2 के विरूद जारी की जाती है।

बीज – मुबलिग – बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह -----फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ------ को अदा करे ।
बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/2/17 को जारी की गई ।

11/2/17
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner